

वीडियो कांफ्रेंसिंग दिनांक 06 जुलाई 2017

पत्रांक-कमिश्नर कैम्प/(17-18)/ 94

/वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(कमिश्नर कैम्प)


लखनऊ दिनांक: 05 जुलाई 2017

समस्त मण्डलायुक्त,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश दिनांक 06.07.2017 को अपरान्ह 03.00 बजे से 04.00 बजे तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा करेंगे।


- 1- जी०एस०टी० अधिनियम के कियान्वयन की प्रगति : पंजीयन/व्यापारियों की जी०एस०टी० में माइग्रेशन की स्थिति।
- 2- जी०एस०टी० अपनाने में व्यापारियों को आ रही कठिनाईयां/समस्याओं की स्थिति।
- 3- जनपद में कॉमन सर्विस सेन्टर्स/आई०टी० सुविधाओं की स्थिति।
- 4- जी०एस०टी० एन० पोर्टल से सम्बन्धित कठिनाईयाँ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर तैयारी के साथ नियत तिथि एवं समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।


(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक: उक्त।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. एडीशनल कमिश्नर (जी०एस०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय को प्रतिभाग करने हेतु।
4. डा० सौरभ गुप्ता, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, उ०प्र०।
5. ज्वाइंट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय को एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ से समन्वय करने हेतु।
6. श्री दीवान सिंह, पी०एस०ए०, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को उपरोक्तानुसार नियत तिथि एवं समय हेतु एन०आई०सी० के कक्ष का आवंटन वाणिज्य कर विभाग को करते हुए लिंक करने का कष्ट करें।
7. डिप्टी कमिश्नर(नजारत)/नाजिर, वाणिज्य कर, मुख्यालय को सूक्ष्म जलपान व्यवस्था हेतु।
8. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /नोडल अधिकारियों को प्रतिभाग करने हेतु।


(संजय कुमार)
डिप्टी कमिश्नर एवं
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम
वाणिज्य कर मुख्यालय।